मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः– सुन्दर लाल खारोल, RJS,
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

एम.ए.सी.प्र.सं. :– **99/2022 (72/2021)**

....

1. श्रीमती शोभादेवी पत्नी पारसराम, निवासी दाल मील के पास, कुचामन सिटी, तहसील कुचामन, जिलाः डीडवाना–कुचामन।
2. मिन्टू पुत्र पारसराम, निवासी दाल मील के पास, कुचामन सिटी, तहसील कुचामन, जिलाः डीडवाना–कुचामन।
3. सुश्री रेशमा पुत्री पारसराम, निवासी दाल मील के पास, कुचामन सिटी, तहसील कुचामन, जिलाः डीडवाना–कुचामन।
4. विक्रम पुत्र पारसराम निवासी दाल मिल के पास, कुचामन सिटी, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

––याचिकाकर्तागण

<u>बनाम</u>

1. श्रवणराम पुत्र लहराराम, निवासी स्टेशन रोड़, कुचामन सिटी, जिलाः डीडवाना–कुचामन।
   (वाहन मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.37–एस.एक्स.–0983 का चालक)
2. मदनलाल पुत्र थानाराम, निवासी दाल मील के पास, कुचामन सिटी, तहसील कुचामन, जिलाः डीडवाना–कुचामन। ।
   (वाहन मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.37–एस.एक्स.–0983 का पंजीकृत स्वामी)
3. टाटा ए0आई0जी0 जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, 104/106 बृज अनुकम्पा, अशोक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर।
   (वाहन मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.37–एस.जे.–0983 की बीमा कंपनी)

––विपक्षीगण

–: उपस्थिति :–

1. याचिकाकर्तागण की ओर से	–	अधिवक्ता श्री मोहम्मद ईस्लाम ।
2. विपक्षी सं.–1 व 2 की ओर से	–	अधिवक्ता, श्री मुश्ताक खान।
3. विपक्षी सं.–3 की ओर से	–	अधिवक्ता, श्री अरविन्द्र सिंह ओबेराय।

याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक	19–08–2021
विपक्षी संख्या–1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत करने की दिनांक	07–09–2024
विपक्षी संख्या–3 द्वारा जवाब प्रस्तुत करने की दिनांक	28–07–2023
विवाद्यक विरचित करने की दिनांक	23–09–2024
साक्ष्य प्रार्थी की दिनांक	19–10–2024
साक्ष्य अप्रार्थीगण की दिनांक	–
बहस अंतिम की दिनांक	24–03–2026

अधिनिर्णय की दिनांक	24–03–2026

गवाहान सूची

(अ) **याचिकाकर्तागण गवाहान्**

क.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
ए.ड.–1	श्रीमती शोभादेवी	स्वयं याचिकाकर्ता
ए.ड.–2	बनवारी	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

(ब) **विपक्षीगण के गवाहान्**

क.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

(द) **अधिकरण द्वारा तलब किया गया गवाह**

क.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	-

दस्तावेजात की सूची

(अ) याचिकाकर्ता के दस्तावेजातः–

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श–1	एफ.आई.आर.
2	प्रदर्श–2	आरोप–पत्र
3	प्रदर्श–3	तहरीरी रिपोर्ट
4	प्रदर्श–4	नक्शा व हालात मौका
5	प्रदर्श–5	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल
6	प्रदर्श–6	नोटिस 133 एमवीएक्ट
7	प्रदर्श–7	नोटिस 134 एमवीएक्ट
8	प्रदर्श–8	एमटीओ रिपोर्ट
9	प्रदर्श–9	डी.एल.
10	प्रदर्श–10	आर.सी. मोटरसाईकिल
11	प्रदर्श–11	बीमा प्रमाण–पत्र
12	प्रदर्श–12	पोस्टमार्टम रिपोर्ट

13	प्रदर्श–13	फर्द सूरत हाल लाश

(ब) विपक्षीगण की ओर से प्रदर्शित दस्तावेजात

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श एन.ए.–1	रोजनामचा विवरण
2	प्रदर्श एन.ए.–2	फर्द पंचायतनामा मृतक पारस
3	प्रदर्श एन.ए.–3	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक पारस

(द) अधिकरण दस्तावेजात

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
—	—	

याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988

दिनांक :–24–03–2026

–:: अधिनिर्णय ::–

1. याचिकाकर्तागण श्रीमती शोभादेवी व अन्य के द्वारा यह याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत की जाकर यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 17–01–2021 को दोपहर करीबन 03:00 बजे मृतक पारसराम विपक्षी संख्या–1 श्रवण के साथ वाहन मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.37–एस.एक्स.–0983 पर सवार होकर मंगलाना से कुचामन आ रहा था। उनके साथ में बनवारी व राजूराम भी अन्य मोटरसाईकिल जा रहे थे। जैसे ही वे ग्राम पलाड़ा से आगे निकले तब श्रवण ने अपनी मोटरसाईकिल को तेजगति, गफलत एवं लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाईकिल को गड्डे में गिरा दी, जिससे विपक्षी संख्या–1 श्रवण गंभीर रूप से घायल हो गया एवं पारसराम के सिर एवं शरीर पर गंभीर चोटें कारित होने के कारण मृत्यु हो गई।
2. उक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 श्रवणराम द्वारा मोटरसाईकिल संख्या आर.जे. 37–एस.एक्स.–0983 की तेजगति, लापरवाही एवं असावधानी से चलाने के कारण घटित हुई है। उक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में पुलिस थाना, कुचामन सिटी पर प्रथम सूचना संख्या 17/2021 संस्थित हुई, जिसमें बाद अनुसंधान विपक्षी संख्या–1 के विरूद्व अपराध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर आरोप–पत्र सम्बंधित न्यायालय में प्रस्तुत

किया गया है।

3. याचिकाकर्तागण ने याचिका में यह भी अभिकथित किया है कि याचिकाकर्तागण मृतक पारसराम के विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारी होकर विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। वक्त दुर्घटना मृतक पारसराम 30 वर्षीय होकर बकरों को खरीदने–बेचने का व्यापार करके प्रतिमाह 30,000/–रूपये की आय अर्जित करता था। उक्त दुर्घटना में पारसराम की मृत्यु के कारण याचिकाकर्तागण को भारी मानसिक संताप होकर वे मृतक के सहारे एवं संरक्षण से वंचित हो गये। इसलिए याचिकाकर्तागण के द्वारा विभिन्न मदों में कुल 1,59,60,000/–रूपये की क्षतिपूर्ति राशि मय 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज विपक्षीगण से दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

4. याचिकाकर्तागण की ओर से याचिका में यह भी अभिकथित किया गया है कि वाहन मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.37–एस.एक्स.–0983 का चालक विपक्षी संख्या–1 श्रवणराम, वाहन का पंजीकृत स्वामी विपक्षी संख्या–2 मदनलाल तथा वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन विपक्षी संख्या–3 टाटा ए0आई0जी0 जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी के यहॉ बीमित थी। इस कारण से विपक्षीगण संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से याचिकाकर्तागण को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी है।

5. विपक्षी संख्या–1 व 2 की ओर से जवाब याचिका प्रस्तुत किया जाकर यह अभिकथित किया गया है कि प्रश्नगत दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 की मोटरसाईकिल संख्या आरजे–37–एस.एक्स.–0983 से कारित नहीं हुई है। याचिकाकर्तागण की ओर से मिथ्या तथ्यों के आधार पर मात्र क्लेम राशि प्राप्त करने के लिये प्रश्नगत वाहन को आलिप्त करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराई गई है। वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या–2 का वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे–37–एस.एक्स.–0983 विपक्षी संख्या–3 बीमा कम्पनी के यहॉ बीमित था। इसलिए अधिकरण द्वारा यदि कोई क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की जाती है तो उसकी अदायगी का दायित्व विपक्षी संख्या–3 बीमा कम्पनी का है। इसलिए याचिकाकर्तागण की याचिका विरूद्ध विपक्षी संख्या–1 व 2 खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

6. विपक्षी संख्या–3 बीमा कंपनी की ओर से जवाब याचिका प्रस्तुत किया जाकर यह अभिकथित किया गया है कि प्रश्नगत दुर्घटना वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे–37–एस.एक्स–0983 से कारित नहीं हुई है। याचिकाकर्तागण ने वाहन स्वामी एवं चालक के साथ मिलीभगत कर 03 दिन के विलम्ब से मात्र क्लेम राशि प्राप्त करने के लिए वाहन मोटरसाईकिल संख्या आर.जे. –37–एस.एक्स.–0983 को आलिप्त किया गया है, जबकि प्रश्नगत वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं होकर मृतक किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। प्रश्नगत दुर्घटना के समय विपक्षी संख्या–1 के पास वैध एवं प्रभावी लाईसेंस नहीं था। बीमित द्वारा जानबूझकर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लघंन किया गया है। इस कारण बीमा कम्पनी का कोई दायित्व क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी का नहीं बनता है। इसलिए याचिकाकर्तागण की याचिका मय हर्जे–खर्चे खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

7. उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत उक्त अभिवचनों के आधार पर क्लेम याचिका में अधिकरण द्वारा निम्नानुसार विवाद्यक विरचित किये गये हैः–

1. **आया दिनांक 17–1–2021 को वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे–37–एस.एक्स–0983 के चालक विपक्षी संख्या–1 श्रवण कुमार ने वाहन को तेजगति, लापरवाही व असावधानीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की, जिससे पारसराम की मृत्यु कारित हुई ?**

   ——याचिकाकर्तागण

2. **आया विपक्षी संख्या–1 वाहन चालक द्वारा वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या–2 वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी के नियोजन में, उसके हितार्थ व लाभार्थ कार्य कर रहा था और इसी नियोजनकाल में यह दुर्घटना कारित हुई?**

   ——याचिकाकर्तागण

3. **आया विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा, प्रारम्भिक आपतित्यों और विशेष विवरण में अंकित आपत्तियों का क्या प्रभाव है ?**

   ——याचिकाकर्तागण

4. **आया याचिकाकर्तागण, विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि 1,59,60,000/– रूपये अक्षरे एक करोड़ उनसठ लाख साठ हजार रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है?**

   ——याचिकाकर्तागण

5. **अनुतोष?**

8. याचिकाकर्तागण की ओर से मौखिक साक्ष्य के दौरान गवाहान ए.ड.–1 श्रीमती शोभादेवी एवं ए.ड.–2 बनवारी को परीक्षित परिक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–13 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है।

9. विपक्षीगण की ओर से किसी भी प्रकार की कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, किन्तु याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की जिरह के दौरान प्रदर्श एन.ए.–1 लगायत प्रदर्श एन.ए.–3 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया है।

10. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

11. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्तागण के तर्क रहे है कि प्रश्नगत दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 द्वारा अपने वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे–37–एस.एक्स–0983 को लापरवाही, उपेक्षा व तेजगति से चलाने के कारण घटित हुई है। वाहन मोटरसाईकिल आरजे–37–एस.एक्स–0983 का चालक विपक्षी संख्या–1 श्रवणराम, वाहन का पंजीकृत स्वामी विपक्षी संख्या–2 मदनलाल, वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन विपक्षी संख्या–3 टाटा ए.आई.जी. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी के यहॉ बीमित थी। उससे उनका संयुक्ततः एवं पृथकतः रूप से दायित्व आरोपित दुर्घटना में पूर्णतया प्रमाणित है। याचिकाकर्तागण की ओर से जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उनके खण्डन में विपक्षीगण की किसी भी प्रकार की कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है। याचिकाकर्तागण याचिका में अभिकथित किये गये तथ्यों के अनुरूप विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है और इसी अनुरूप याचिकाकर्तागण की क्लेम याचिका स्वीकार कर वांछित क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने का निवेदन किया है।

12. विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या–1 व 2 का दौराने बहस तर्क रहे है कि प्रश्नगत दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 की मोटरसाईकिल संख्या

आरजे–37–एस.एक्स.–0983 से कारित नहीं हुई है। याचिकाकर्तागण की ओर से मिथ्या तथ्यों के आधार पर मात्र क्लेम राशि प्राप्त करने के लिये प्रश्नगत वाहन को आलिप्त करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराई गई है। वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या–2 का वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे–37–एस.एक्स.–0983 विपक्षी संख्या–3 बीमा कम्पनी के यहॉ बीमित था। इसलिए अधिकरण द्वारा यदि कोई क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की जाती है तो उसकी अदायगी का दायित्व विपक्षी संख्या–3 बीमा कम्पनी का है। इसलिए याचिकाकर्तागण की याचिका मय हर्जे–खर्चे के खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

13. विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या–3 की ओर से मौखिक बहस के समर्थन में लिखत बहस प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया कि है कि प्रश्नगत दुर्घटना वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे–37–एस.एक्स.–0983 से कारित नहीं हुई है। याचिकाकर्तागण ने विपक्षी संख्या–1 व 2 से मिलीभगत करके तीन दिवस के विलम्ब से झूठे तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित करवाई है। याचिकाकर्तागण ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में विपक्षी संख्या–1 श्रवणराम द्वारा वाहन को तेजगति से चलाते हुए गड्डे में गिराने के कारण दुर्घटना घटित होना वर्णित किया है, जबकि रोजनामचा रपट प्रदर्श एन.ए.–1 में श्रवणराम व पारसराम की मोटरसाईकिल के अज्ञात वाहन से टक्कर मारने के तथ्य वर्णित किए गए है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण बनवारी, राजूराम व याचिकाकर्तागण द्वारा पुलिस को दुर्घटना के बारे में सूचित नहीं किया गया था। याचिकाकर्तागण ने पूर्णतः मिलीभगत करके वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे–37–एस.एक्स.–0983 को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए झूठा संलिप्त किया है। इसलिए याचिकाकर्तागण की याचिका खारिज करने का निवेदन किया है।

14. उपरोक्त तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। याचिका में जो विवाद्यक विरचित किये गये हैं, उन पर इस अधिकरण का निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या–1 व 2</u>

15. विवाद्यक संख्या–1, 2 व 3 निम्न प्रकार से विरचित किये गये है किः–

1. **आया दिनांक 17–1–2021 को वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे–37–एस.एक्स–0983 के चालक विपक्षी संख्या–1 श्रवण कुमार ने वाहन को तेजगति, लापरवाही व असावधानीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की, जिससे पारसराम की मृत्यु कारित हुई ?**
2. **आया विपक्षी संख्या–1 वाहन चालक द्वारा वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या–2 वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी के नियोजन में, उसके हितार्थ व लाभार्थ कार्य कर रहा था और इसी नियोजनकाल में यह दुर्घटना कारित हुई?**

16. उपरोक्त दोनों विवाद्यकों के एक–दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से उक्त दोनों विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक संख्या–1 व 2 को प्रमाणित करने का भार याचिकाकर्तागण पर है। उपरोक्त विवाद्यकों के संबधं में याचिकाकर्तागण की ओर से ए.ड.–1 श्रीमती शोभा देवी व ए.ड.–2 बनवारी को परीक्षित करवाया गया है।

17. याचिकाकर्ता ए.ड.–1 श्रीमती शोभादेवी, जो मृतक पारसराम की पत्नी है, ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान क्लेम याचिका में वर्णितानुसार ही कथन करते हुये यह अभिकथित किया है कि दुर्घटना के दिन उसके पति पारसराम, श्रवणराम के साथ मोटरसाईकिल संख्या आरजे–37–0983 पर सवार होकर मंगलाना से कुचामन आ रहे थे। उनके साथ एक अन्य मोटरसाईकिल पर बनवारी व राजूराम भी थे। जब उसके पति की मोटरसाईकिल ग्राम पलाड़ा से आगे निकली तो श्रवण ने मोटरसाईकिल को तेजगति से चलाते हुए गड्डे में गिरा दिया, जिससे उसके पति पारसराम व श्रवणराम घायल हो गए। बनवारी व राजूराम ने दुर्घटनास्थल से उक्त दोनों को राजकीय चिकित्सालय, कुचामन पहुंचाया, जहां से उन्हें जयपुर रैफर कर दिया। जयपुर जाते समय नावां के पास उसके पति पारसराम की मृत्यु हो गई।

18. इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श–2 आरोप–पत्र, प्रदर्श–3 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श–4 फर्द नक्शा मौका व हालत मौका घटनास्थल, प्रदर्श–5 फर्द जब्ती मोटरसाईकिल संख्या आरजे–37–एस.एक्स–0983, प्रदर्श–6 133 एमवीएक्ट का नोटिस,

प्रदर्श–7 134 एमवीएक्ट का नोटिस, प्रदर्श–8 एमटीओ रिपोर्ट, प्रदर्श–9 डी.एल., प्रदर्श–10 वाहन की आर.सी., प्रदर्श–11 बीमा, प्रदर्श–12 पोस्टमोर्टम रिपोर्ट, प्रदर्श–13 फर्द सूरत हाल लाश दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया है।

19. गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया है कि वह वक्त दुर्घटना मौके पर उपस्थित नहीं थी। दुर्घटना की रिपोर्ट नैनाराम ने दुर्घटना के तीन बाद दर्ज करवाई थी। उसके पति श्रवण की मोटरसाईकिल पर बैठकर गए थे। गवाह ने दौराने जिरह पारसराम की मृत्यु मोटरसाईकिल को किसी अन्य वाहन से टक्कर मारने के कारण कारित होने से इन्कारी की है। इस प्रकार यह केवल मात्र सुनी–सुनाई बातों के आधार पर साक्ष्य दे रहा है, इस कारण इस गवाह की साक्ष्य प्रकरण पर महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है।

20. याचिकाकर्तागण की ओर से परीक्षित गवाह ए.ड.–2 बनवारी, जो कि दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि दिनांक 17–01–2021 को पारस व श्रवण मोटरसाईकिल संख्या आर.जे. 37–एस.एक्स. 0983 पर बैठकर मंगलाना से कुचामन सिटी आ रहे थे। साथ में अन्य मोटरसाईकिल पर वह तथा राजुराम चल रहे थे। पलाड़ा से आगे निकलते ही मोटरसाईकिल संख्या 0983 के चालक श्रवण ने अपनी मोटरसाईकिल को तेजगति व लापरवाही से चलाते हुए एक गड्डे में पटक दी। श्रवणराम व पारसराम नीचे गिर गये, जिनको उसने व राजुराम ने सरकारी अस्पताल कुचामन पहुंचाया, जहॉ से दोनों को जयपुर रैफर कर दिया। पारसराम की रास्ते में मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना श्रवण द्वारा मोटरसाईकिल को तेजगति व लापरवाही से चलाने के कारण घटित हुई है।

21. गवाह ने दौराने जिरह उसका, पारस, श्रवणराम व राजुराम का माल बेचने के लिए साथ जाना बताया है। गवाह ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि श्रवण व पारस जिस मोटरसाईकिल पर थे, वह मोटरसाईकिल मदनलाल की थी। गवाह ने दौराने जिरह इस सुझाव को गलत होना बताया है कि उन्होंने पुलिस को श्रवण व पारस की मोटरसाईकिल को किसी वाहन द्वारा टक्कर मारने की बात बताई हो। गवाह ने रोजनामचा प्रदर्श एन.ए.–1 में ए से बी स्थान पर किसी वाहन द्वारा टक्कर मारने की बात लिखी होने के सम्बन्ध में

अनभिज्ञता प्रकट की है। गवाह ने दौराने जिरह यह कथन किया है कि वह श्रवण के साथ जयपुर अस्पताल ईलाज के लिए चला गया था, इसलिये उसने पुलिस को रिपोर्ट नहीं दी। गवाह ने जिरह के दौरान दुर्घटना मोटरसाईकिल के गड्डे में गिरने से होना बताया है। गवाह ने दौराने जिरह यह कथन किया है कि जब दुर्घटना हुई, उस समय वे श्रवण की मोटरसाईकिल के एकदम पीछे थे। गवाह ने दुर्घटना नहीं देखने के सुझाव को अस्वीकार किया है।

22. याचिकाकर्तागण की उक्त मौखिक साक्ष्य के खण्डन विपक्षीगण की ओर से पत्रावली पर किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं करवाया गया है।

23. याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत उक्त मौखिक साक्ष्य के संदर्भ में यदि दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–3 के आधार पर पुलिस थाना, कुचामन सिटी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1 संस्थित की गई है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–3 में दुर्घटना दिनांक 17–01–2021 की होकर दुर्घटना मोटरसाईकिल संख्या–आर.जे.–37–एस.एक्स.–0983 के चालक श्रवण की गलती से होने का तथ्य अंकित है, जिस पर दौराने अनुसंधान सम्बंधित पुलिस के द्वारा वाहन मोटरसाईकिल के स्वामी विपक्षी संख्या–2 मदनलाल को नोटिस प्रदर्श–6 प्रेषित किया गया है। नोटिस के जवाब में विपक्षी संख्या–2 ने दुर्घटना दिवस को चालक विपक्षी संख्या–1 श्रवण होने का जवाब प्रस्तुत किया है। इसी के साथ दौराने अनुसंधान सम्बंधित पुलिस के द्वारा विपक्षी संख्या–1 को नोटिस 134 एम.वी.एक्ट प्रदर्श–7 प्रेषित किया गया है, जिसके जवाब में विपक्षी संख्या–1 ने दुर्घटना के समय प्रश्नगत मोटरसाईकिल का चालक स्वयं होने का जवाब प्रस्तुत किया गया है। फर्द जब्ती मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.–37–एस.एक्स.–0983 प्रदर्श–5 के अवलोकन से सम्बंधित पुलिस के द्वारा दौराने अनुसंधान वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे–37–एस.एक्स–0983 को दुर्घटना में आलिप्त मानकर जब्त किए जाने से भी उक्त वाहन से ही दुर्घटना घटित होने का तथ्य प्रमाणित होता है। फर्द मेकेनिकल मुआयना प्रदर्श–8 के अवलोकन से दुर्घटना में लिप्त मोटरसाईकिल संख्या आरजे–37–एस.एक्स–0983 के प्रश्नगत दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होकर बांये तरफ का इण्डीगेटर चेंज किए जाने का तथ्य दर्शित होता

है। अंतिम नतीजा प्रदर्श—1 के अवलोकन से भी बाद अनुसंधान सम्बंधित पुलिस के द्वारा विपक्षी संख्या—1 श्रवणराम के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप प्रमाणित होना निष्कर्षित कर आरोप—पत्र प्रस्तुत किये जाने से भी प्रश्नगत दुर्घटना एकमात्र विपक्षी संख्या—1 की गफलत एवं लापरवाही से घटित होने का तथ्य प्रमाणित होता है।

24. इसी के साथ नक्शा मौका प्रदर्श—4 के अवलोकन से भी दुर्घटना स्थल मार्क 'एक्स' से दर्शित किया गया, जो मण्डावरा—कुचामन लोकमार्ग है। नक्शा मौका के अनुसार मोटरसाईकिल संख्या आरजे—37—एस.एक्स—0983 के चालक श्रवणराम द्वारा उक्त मोटरसाईकिल को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुऐ सड़क को छोड़कर सड़क से नीचे जाकर गड्डे में गिराकर प्रश्नगत दुर्घटना कारित करने का तथ्य प्रमाणित होता है।

25. मृतक पारस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श—12 के अनुसार प्रश्नगत दुर्घटना में कारित चोटों के कारण इलाज के दौरान मृत्यु होने का तथ्य प्रमाणित होता है। इसके साथ विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई भी मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, इस कारण उक्त दस्तावेजात को अस्वीकार किये जाने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं होने से दुर्घटना वाहन मोटरसाईकिल संख्या—आरजे—37—एस.एक्स.—0983 की संलिप्तता एवं विपक्षी संख्या—1 की उपेक्षा, तेजगति एवं लापरवाही से होना दर्शित होता है।

26. याचिकाकर्तागण के द्वारा प्रदर्शित कराये गये दुर्घटना में लिप्त वाहन की आर. सी. प्रदर्श—10 के अनुसार पंजीकृत स्वामी विपक्षी संख्या—2 मदनलाल होने का तथ्य दर्शित होता है। पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी संख्या—1 श्रवण के डी.एल. की प्रति के अनुसार विपक्षी संख्या—1 के पास वक्त दुर्घटना वैध एवं प्रभावी अनुज्ञा—पत्र होने का तथ्य दर्शित होता है। वाहन के बीमा प्रमाण—पत्र प्रदर्श—11 के अनुसार दिनांक 13—11—2020 से दिनांक 12—11—2025 तक की अवधि तक प्रश्नगत वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे—37—एस.एक्स.—0983 विपक्षी संख्या—3 टाटा ए.आई.जी. जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के यहां बीमित होने का तथ्य दर्शित होता है। अतः याचिकाकर्तागण के द्वारा प्रस्तुत की

गई उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य पूर्णतया प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत दुर्घटना एकमात्र विपक्षी संख्या–1 द्वारा मोटरसाईकिल संख्या आरजे–37–एस.एक्स–0983 को तेजगति एवं असावधानी से चलाकर कारित की गई है एवं उक्त दुर्घटना में पारसराम की मृत्यु हुई। विपक्षी संख्या–1 वाहन चालक श्रवणराम, विपक्षी संख्या–2 मदनलाल वाहन स्वामी के नियोजन में कार्य कर रहा था और इसी नियोजन काल में यह दुर्घटना कारित हुई। प्रश्नगत वाहन मोटरसाईकिल विपक्षी संख्या–3 टाटा ए.आई.जी. जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के यहां समिति दायित्व के बीमित था। अतः उपरोक्त दोनों विवाद्यक याचिकाकर्तागण के पक्ष में तथा विपक्षीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाते हैं।

<u>विवाद्यक संख्या–3 :–</u>

27. विवाद्यक संख्या–3 निम्न प्रकार से विरचित किया गया है किः–

> **"आया विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा, प्रारंभिक आपत्तियों और विशेष विवरण में अंकित आपत्तियों का क्या प्रभाव है?"**

28. इस विवाद्यक को साबित करने का भार विपक्षीण पर था। इस सम्बन्ध में दौराने बहस अधिवक्ता विपक्षी संख्या–3 का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि प्रश्नगत दुर्घटना मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.37–एस.एक्स.–0983 से घटित नहीं होकर किसी अन्य वाहन से घटित हुई है। रोजनामचा प्रदर्श एन.ए.–1 में वर्णितानुसार भी दुर्घटना किसी अज्ञात वाहन से होने का तथ्य प्रमाणित होता है। दुर्घटना दिनांक 17–01–2021 को घटित होने के पश्चात् तीन दिन के विलम्ब से तहरीरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिस विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिये याचिकाकर्तागण की याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

29. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि विवाद्यक संख्या–1 व 2 के विवेचन के दौरान प्रश्नगत दुर्घटना एकमात्र वाहन मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.–37 एस.एक्स. –0983 के चालक विपक्षी संख्या–1 की उपेक्षा, तेजी एवं लापरवाही से होने का तथ्य निष्कर्षित किया गया है। जहॉ तक रोजनामचा प्रदर्श एन.ए.–1 में वर्णित

तथ्यों का प्रश्न है तो रोजनामचा प्रदर्श एन.ए.–1 में मुख्य रूप से यह वर्णित किया गया है किः–

> ''घटना के बारे में जानकारी की तो पता चला कि पारस व श्रवण दोनों अपनी मोटरसाईकिल से मण्डावरा की तरफ जा रहे थे, जिसके किसी वाहन द्वारा टक्कर मारने से घायल हो गये।''

30. रोजनामचा प्रदर्श एन.ए.–1 दिनांक 17–01–2021 को पूनमचंद ए.एस.आई. पुलिस थाना कुचामन सिटी द्वारा पंजीबद्ध किया गया है, किन्तु रोजनामचा में पूनमचंद की ओर से यह वर्णित नहीं किया गया है कि घटना की जानकारी उसे किस व्यक्ति ने दी, उसका नाम व पता क्या था एवं जिस व्यक्ति ने उसे घटना के बारे में जानकारी दी थी, क्या वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में रोजनामचा में कोई तथ्य वर्णित नहीं होने के कारण रोजनामचा में वर्णितानुसार ही दुर्घटना घटित हुई हो, यह तथ्य स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

31. इसके अतिरिक्त रोजनामचा में वर्णितानुसार ही उक्त घटनास्थल पर ही प्रश्नगत दुर्घटना के पश्चात् एक अन्य दुर्घटना भी टेम्पों एवं अज्ञात वाहन के मध्य होने का तथ्य दर्शित होता है। इस प्रकार रोजनामचा प्रदर्श एन.ए.–1 में वर्णित तथ्यों की पुष्टि किसी साक्षी द्वारा नहीं की गई है, जबकि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ए.ड.–2 बनवारी ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से दुर्घटना श्रवणराम द्वारा अपनी मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.37–एस.एक्स. –0983 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर गड्डे में गिरा दिये जाने के कारण घटित होना बताया है, जिसका कोई खण्डन विपक्षीगण की ओर से नहीं किया जा सका है। इस प्रकार अधिवक्ता विपक्षी संख्या–1 की ओर से इस सम्बन्ध में जो तर्क प्रस्तुत किया गया है, वह स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

32. जहॉं तक प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिवस के विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध यदि दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–3 के आधार पर पुलिस थाना, कुचामन सिटी द्वारा प्रथम सूचना

रिपोर्ट प्रदर्श–1 संस्थित की गई है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–3 में दुर्घटना दिनांक 17–01–2021 की होना वर्णित किया गया है एवं पुलिस थाना कुचामन सिटी पर घटना की रिपोर्ट तीन दिवस पश्चात् दिनांक 20–01–2021 को संस्थित कराई गई है। उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रदर्श–3 में पारस का पोस्टमार्टम दिनांक 18–01–2021 को होने एवं तत्पश्चात् अंतिम संस्कार में व्यस्त होने होने के कारण रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना वर्णित किया गया है। इसी आशय के कथन ए.ड.–2 बनवारीलाल ने किए है।

33. इस प्रकार प्रश्नगत दुर्घटना में पारस के गम्भीर रूप से घायल होकर उसे जयपुर रैफर कर दिए जाने एवं रास्ते में उसकी मृत्यु होकर दिनांक 18–01–2021 को उसका पोस्टमार्टम होने के पश्चात् उसके अंतिम संस्कार में व्यस्त होने के कारण यदि दुर्घटना की रिपोर्ट तीन दिन के विलम्ब से भी प्रस्तुत की गई है तो उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव याचिका पर नहीं पड़ता है। सामान्य अनुक्रम में यदि कोई दुर्घटना होकर उसमें किसी के गम्भीर रूप से घायल हो जाने के परिणामस्वरूप प्राथमिक आहत को ईलाज उपलब्ध कराने की रहती है, न कि रिपोर्ट संस्थित कराने की। हस्तगत प्रकरण में भी इस प्रकार की परिस्थितियॉ रही है, इसलिये अधिवक्ता विपक्षी संख्या–3 की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किया गया है, वह स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः यह विवाद्यक बिन्दु विरूद्ध विपक्षी संख्या–3 विनिश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या–4</u>

34. विवाद्यक संख्या–4 इस प्रकार से विरचित किया गया है किः–

> **''आया याचिकाकर्तागण, विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि 1,59,60,000/– रूपये अक्षरे एक करोड़ उनसठ लाख साठ हजार रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है??''**

35. याचिकाकर्तागण द्वारा अधिकरण के समक्ष क्लेम याचिका प्रस्तुत कर मृतक पारसराम की वाहन मोटरसाईकिल आरजे–37–एस.एक्स–0983 से दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण विपक्षीगण से प्रतिकर स्वरूप 1,59,60,000/–रूपये मय ब्याज दिलवाने का निवेदन किया गया है। याचिकाकर्ता ए0ड0–1 श्रीमती शोभादेवी, जो कि मृतक की पत्नी है, ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह

कथन किया है कि उसके पति पारसराम की दुर्घटना के समय आयु 30 वर्ष थी। उसके पति व्यापार करके प्रतिमाह 20,000/–रूपय की आय अर्जित करते थे। याचिकाकर्तागण मृतक पर आश्रित थे। उक्त गवाह से विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, किन्तु उक्त गवाह के प्रतिपरीक्षण के दौरान ऐसा कोई कथन नहीं आया है, जिससे इस गवाह के द्वारा मुख्य परीक्षण में किए गए कथन खण्डित हो।

36. मोटर दुर्घटना प्रकरणों में प्रतिकर राशि के निर्धारण के लिये मृतक की आयु व आय दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करना होता है, जिनके आधार पर प्रतिकर राशि की गणना की जाती है। जहॉ तक मृतक की आयु का प्रश्न है, इस संबंध में याचिकाकर्तागण ने याचिका में वक्त दुर्घटना पारसराम की आयु 30 वर्ष होने का तथ्य अंकित किया है। ए.ड.–1 श्रीमती शोभादेवी ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान मृतक पारसराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श–12 एवं फर्द सूरत हाल लाश प्रदर्श–13 दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गये है। उक्त दोनों ही दस्तावेजात में मृतक पारसराम की आयु वक्त दुर्घटना 30 वर्ष होना वर्णित किया गया है। इसी के साथ याचिकाकर्तागण साक्षीगण की जिरह के दौरान विपक्षीगण की ओर से प्रदर्शित कराये गये दस्तावेज फर्द पंचायतनामा मृतक पारस प्रदर्श एन.ए.–2 एवं फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श एन.ए. –3 में भी मृतक पारस की आयु 30 वर्ष होने का तथ्य अंकित किया गया है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में विपक्षीगण की ओर से किसी भी प्रकार की कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार वक्त दुर्घटना मृतक पारसराम की आयु **30** वर्ष होने का तथ्य अभिनिर्धारित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

37. जहॉ तक मृतक पारस की आय का प्रश्न है, याचिकाकर्तागण द्वारा अपनी क्लेम याचिका में यह अभिकथित किया गया है कि मृतक पारसराम व्यापार करके प्रतिमाह 20,000/–रूपये की आय अर्जित कर उक्त आय को याचिकाकर्तागण पर खर्च कर उनका भरण–पोषण करता था। किन्तु याचिकाकर्तागण ने अपनी साक्ष्य के दौरान मृतक पारसराम की आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्तागण के द्वारा मृतक के

किसी कार्य में कुशल होने के सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया गया है। इसलिए राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी अकुशल श्रमिकी की न्यूनतम मासिक मजदूरी दर के आधार पर ही मृतक पारसराम की मासिक आय अभिनिर्धारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकरण की दुर्घटना दिनांक **17–01–2021** की है एवं दुर्घटना की दिनांक को अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मासिक मजदूरी **6552/–**रूपये प्रभाव में थी। ऐसी स्थिति में न्यूनतम एवं नोशनल आय के सिद्वांत के आधार पर वर्तमान परस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अकुशल श्रमिक की मासिक आय **6552/–**रूपये अभिनिर्धारित है। अतः मृतक पारसाराम की आय प्रतिमाह **6552/–**रूपये होना अभिनिर्धारित किया जाता है।

38. याचिका मृतक पारसराम के आश्रित एवं वारिसान के द्वारा प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत याचिका के अवलोकन से याचिकाकर्ता संख्या–1 श्रीमती शोभादेवी मृतक पारसराम की पत्नी एवं याचिकाकर्तागण संख्या–2 लगायत–4 कमशः मिन्टू, विक्रम व सुश्री रेशमा नाबालिग पुत्र एवं पुत्री है। इसलिये उपरोक्त विवेचन के अनुसार याचिकाकर्तागण संख्या–1 लगायत–4 का **मृतक पर आश्रित** होने का तथ्य विनिश्चित किया जाता हैं।

39. मृतक की आश्रितता, आय व आयु का निर्धारण करने के पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्रीमती सरला वर्मा व अन्य बनाम दिल्ली ट्रासपोर्ट कारर्पोरेशन व अन्य A.I.R. 2009 (S.C.) 3104** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार वक्त दुर्घटना मृतक पारसाराम की **आयु 30 वर्ष** थी, जो कि **गुणांक 17** के अंतर्गत आता है। न्यायिक दृष्टांत **नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य A.I.R. 2017 (S.C.) पेज 4973** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक पारसाराम के **आश्रितो की संख्या–4** है। उसके आधार पर व्यक्तिगत खर्चों और जीवन निर्वाह के खर्चों का निर्धारण **1/4** और निम्न सारणी के अनुसार क्लेम राशि को तय किया जाना न्यायोचित प्रकट होता हैः–

1	Nature of deceased job.	**Govt. Employed**
2	Marital status of deceased.	**Married**

3	Number of Dependents.	**4**
4	Age of deceased in Years.	**30**
5	Monthly Income	**6552**
6	Annual Income (Monthly Income *12)	**78,624**
7	Addition Made in income (As per Pranay Sethi Cases)=40%	**31,449.60**
8	Total after Addition made	**1,10,073.60**
9	**Deduction towards personal and living expenses of the deceased. Amount mentioned at serial no. 8 Divided by = 1/4 (As per Sarla Case)**	**27518.40**
10	Total after Deduction towards personal and living expenses of the deceases.	**82,555.20**
11	Multiplier (As per Sarla Case)= **17**	**14,03,438.40**
13	Lose of Dependency =	**14,03,438.40**
Reasonable Figures on Conventional Heads (As per Pranay Sethi Case)		
14	1. Loss of estate	15,000.00
15	2. Loss of consortium 40,000x4	1,60,000.00
16	3. Loss of funeral	15,000.00
17	Total (Loss of Dependency + Conventional Heads)	**15,93,438.40**
18	Round off Total	**15,93,440/-**

40. उक्त सारणी के अनुसार मृतक पारसराम के आश्रित क्लेम राशि **15,93,440/–(अक्षरे पन्द्रह लाख तिरानवे हजार चार सौ चालीस रूपये मात्र)** प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अनुतोष :–

41. अतः उपरोक्त विवेचन अनुरूप वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.–37–एस.एक्स.–0983 का चालक विपक्षी संख्या–1 श्रवणराम, विपक्षी संख्या–2 मदनलाल वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी एवं प्रश्नगत वाहन वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या–3 टाटा ए.आई.जी. जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी के यहां असमिति दायित्व के लिए बीमित थी। दुर्घटना के समय विपक्षी संख्या–1 वाहन चालक श्रवणराम, विपक्षी संख्या–2 के हितार्थ, लाभार्थ, नियोजन में निर्देशानुसार कार्यरत था। बीमा प्रदर्श–11 के अनुसार वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन विपक्षी संख्या–3 बीमा कम्पनी के यहां बीमित था। इस कारण विपक्षी संख्या–3 से याचिकाकर्तागण क्षतिपूर्ति प्रतिकर स्वरूप संयुक्त रूप से एवं पृथकतः

15,93,440/–(अक्षरे पन्द्रह लाख तिरानवे हजार चार सौ चालीस रूपये मात्र) की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है और इसी अनुरूप उपरोक्त याचिका आंशिक रूप से याचिकाकर्तागण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

42. याचिकाकर्तागण ने क्षतिपूर्ति राशि 12 प्रतिशत ब्याज की दर से दिलाये जाने का निवेदन किया है। इस संबंध में **पुट्टमा बनाम के.एल.नारायण रेड्डी A.I.R. 2014 (S.C.) 165 धर्मपाल व अन्य बनाम यू.पी.स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कोरपोरेशन A.I.R. 2008 (S.C.) 2312** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक की ब्याज दर के अनुसार ही दिलवाया जाना निर्धारित किया गया है। इस प्रकार इस अधिकरण के विन्रम मत में याचिकाकर्तागण, विपक्षी संख्या–3 वाहन की बीमा कंपनी से संयुक्त रूप से एवं पृथकतः **15,93,440/–(अक्षरे पन्द्रह लाख तिरानवे हजार चार सौ चालीस रूपये मात्र)** याचिका पेश करने की दिनांक **19–08–2021** से भुगतान की दिनांक तक **5.50** प्रतिशत साधारण ब्याज की दर दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: पंचाट ::–

43. परिणामतः याचिकाकर्तागण श्रीमती शोभादेवी व अन्य की याचिका आंशिक रूप से विपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से स्वीकार की जाकर यह अंतिम पंचाट इस प्रकार से पारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता श्रीमती शोभादेवी व अन्य, विपक्षी संख्या–3 वाहन मोटरसाईकिल संख्या–आरजे–37–एस.एक्स–0983 की बीमा कंपनी टाटा ए.आई.जी. जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से संयुक्त रूप से एवं पृथकतः **15,93,440/–(अक्षरे पन्द्रह लाख तिरानवे हजार चार सौ चालीस रूपये मात्र)** याचिका पेश करने की दिनांक 19–08–2021 से भुगतान की दिनांक तक **5.50** प्रतिशत साधारण ब्याज की दर सहित प्रतिकर स्वरूपः प्राप्त करने के अधिकारी है।

44. याचिकाकर्तागण को यदि धारा 140 मोटर वाहन अधिनियम के तहत अंतरिम प्रतिकर के रूप में राशि का भुगतान किया गया है तो उक्त राशि अंतिम पंचाट की राशि में समायोजित होगी।

45. अतः विपक्षी संख्या–3 को यह आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त याचिका की प्रतिकर राशि व ब्याज की राशि इस पंचाट की तिथि से एक माह की अवधि में निम्नानुसार याचिकाकर्तागण के खाते में अदा करेः–

याचिकाकर्ता का नाम	बैंक का नाम एवं खाता संख्या	IFSC Code	राशि प्रतिशत/रूपये में
श्रीमती शोभादेवी	SBI-61233216295	**SBIN0031733**	**40%**
मिन्टू	SBI-61233216295	**SBIN0031733**	**20%**
विक्रम	SBI-61233216295	**SBIN0031733**	**20%**
सुश्री रेशमा	SBI-61233216295	**SBIN0031733**	**20%**

46. बैंक में उक्त राशियॉ जमा होने के पश्चात् न्यायालय द्वारा जमा राशियों के नकद भुगतान/सावधि जमा योजना के तहत जमा किए जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किए जाने के पश्चात् ही याचिकाकर्तागण न्यायालय के आदेशानुसार राशि प्राप्त करेंगे। याचिकाकर्तागण संख्या–2 लगायत 4 के नाबालिग होने से उनको देय राशि उनकी प्राकृतिक संरक्षिका माता याचिकाकर्ता संख्या–1 श्रीमती शोभादेवी के बैंक खाते में देय होगी। इस न्यायालय के आदेश के बिना सम्बंधित बैंक, याचिकाकर्तागण को किसी भी राशि का भुगतान नहीं करेगा। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(सुन्दर लाल खारोल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)

47. अधिनिर्णय आज दिनांक 24–03–2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(सुन्दर लाल खारोल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,

कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)